

कार्यालय :— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय आदेश संख्या :— ३०

राँची—२ दिनांक :— १७/५/१५

वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिसूचना संख्या सं०सं०—४/यो० बजट—४२/२०१०—२३७१ व०४०, दिनांक ०५.०५.२०१५ द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक १५.०५.१५ को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस —गैबियन वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा दर का अनुमोदन किया गया। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वयन की जाने वाली पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस —गैबियन वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरे समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष २०१५—१६ के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस —गैबियन वृक्षारोपण

१. बाँस—गैबियन का आकार: ६'-६" x २'-

६" x २'-६"

३ मजदूरी दर प्रति मानव दिवस: 187.43

रुपये

२. पवित्र से पवित्र की दूरी — ३ मी०

स्पेसिंग

३. पौधे से पौधे की दूरी — ८ मी०

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मुल मजदूरी (रु० मे०)	सामग्री (रु० मे०)	कुल व्यय (रु० मे०)	आप्रियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A) अप्रियुक्ति कार्य (प्रथम वर्ष)							
१	घेरान कार्य						
क	बाँस का खूंटा —३ अद्व (खूंटे की लंबाई ६'-६") एवं जाफरी हेतु बाँस (कुल ३ बाँस @ ८०.०० रु. ; प्रति ग्रामीण बाँस) ढुलाई सहित	प्रति गैबियन	०.००	०.००	२४०.००	२४०.००	
ख	जाफरी का निर्माण एवं खूंटों में जाफरी को लगाना	प्रति गैबियन	१.००	१८७.४३	०.००	१८७.४३	
ग	खूंटों की कोलतार/ब्लैक जापान/ब्लैक पेन्ट से रंगाई	प्रति गैबियन	०.२०	३७.४९	६.००	४३.४९	
घ	जाफरी की हरे एवं लाल पैंट से रंगाई	प्रति गैबियन	०.३०	५६.२३	९०.००	१४६.२३	
ड.	गैबियन का खूंटा लगाने हेतु एकरेखन, आवश्यकतानुसार समतलीकरण एवं खूंटा लगाने हेतु १'x1'x1'-६" आकार के ४ गढ़ों को खोदना तथा खोदी गई मिटटी को समुचित स्थल पर संचित करना	प्रति गैबियन	०.२०	३७.४९	०.००	३७.४९	गर्म पेट में ढुबाकर रंगाई को जायेगी। गैबियन को एक हरा-एक लाल alternate स्थापित किया जायेगा।
च	जाफरी सहित खूंटा लगाना—४ खूंटा—२० खूंटा प्रति मानव दिवस (ढुलाई सहित)	प्रति गैबियन	०.२०	३७.४९	१५.००	५२.४९	

छ.	जाफरी हेतु	प्रति गैवियन		0.00		0.00	
	(1) तार 100 ग्राम (67/- रु. प्रति किलोग्राम)		0.00	0.00	6.70	6.70	
	(2) काटी 300 ग्राम (69/- रु. प्रति किलोग्राम)		0.00	0.00	20.70	20.70	
2	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 2'x2'x2' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना	प्रति गैवियन	0.17	31.86	0.00	31.86	
	योग		2.07	387.98	378.40	766.38	
(B)	समापन कार्य (द्वितीय चरण)						
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर दुलाई सहित	प्रति गैवियन	0.00	0.00	20.00	20.00	
2	गड्ढे में डालने हेतु बालू एवं गोवर खाद का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू, वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति गैवियन	0.15	28.11	20.00	48.11	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	प्रति गैवियन	0.10	18.74	2.00	20.74	
4	तीन कोड़नी निकोनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैवियन	0.15	28.11	4.50	32.61	
5	पटवन (रिक्षा/ठेला द्वारा)	प्रति गैवियन	0.50	93.72	25.00	118.72	
6	सुरक्षा	प्रति गैवियन	0.50	93.72	0.00	93.72	
7	साइन-बोर्ड एवं गैवियन नवरिंग	प्रति गैवियन	0.00	0.00	20.00	20.00	
	योग		1.40	262.40	91.50	353.90	
(C)	संपोषण (तृतीय चरण)						
1	तीन कोड़नी निकोनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैवियन	0.15	28.11	4.50	32.61	
2	पटवन (रिक्षा/ठेला द्वारा)	प्रति गैवियन	0.50	93.72	5.00	98.72	
3	बॉस गैवियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैवियन	0.50	93.72	60.00	153.72	
	योग		1.15	215.54	69.50	285.04	
(D)	संपोषण (चतुर्थ चरण)						
1	तीन कोड़नी निकोनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैवियन	0.15	28.11	4.50	32.61	
2	पटवन (रिक्षा/ठेला द्वारा)	प्रति गैवियन	0.50	93.72	5.00	98.72	
3	बॉस गैवियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैवियन	0.50	93.72	60.00	153.72	
	योग		1.15	215.54	69.50	285.04	
	कल योग		5.77	1081.47	608.90	1690.37	

- नोट (1) शहरों में सड़कों के किनारे एक सड़क पर सामान्यतः एक प्रजाति को पौधों का रोपण किया जाय।
(2) बाँस गैबियन पर गैबियन संख्या अंकित की जाएगी।
(3) बाँस गैबियन में प्रकाष्ठ प्रजाति, फलदार एवं शोभाकार पौधों का रोपण किया जाएगा।
(4) प्रत्येक ग्राम के निकट पथ के दोनों तरफ कम से कम 50 फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा।
(5) पौधों का क्रय विभागीय पौधशालाओं से करने को प्राथमिकता दी जाय।

ह०/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक :- ५६७

दिनांक :- १९/८/१५

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह— कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, राँची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


19/8/15

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची